(वाद सं0.-2687/4/13/2022)

14-09-2023

प्रसंगाधीन मामला, परिवादी, अंजु कुमारी, के पति, स्व0 छोटू कुमार, द्वारा चालित हाइवा गाड़ी संख्या–JH-02AK-8440 से रात्रि के करीब 02:30 बजे मिट्‌टी गिराते समय 11 हजार वोल्ट का बिजली का तार हाइवा वाहन से सट जाने के कारण विधुत स्पर्शाधात से हुई मृत्यु पर अनुग्रह अनुदान के भुगतान से संबंधित है।

उक्त पर **साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, पटना,** से प्रतिवेदन की मांग की गई। **साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, पटना,** द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि **मृत्तक की मृत्यु स्वयं के असावधानी के कारण हुई है ना कि इसमें बिजली कम्पनी का कोई दोष है।**

उक्त पर राज्य आयोग के द्वारा दिनांक–21.02.2023 को पारित आदेश के द्वारा प्रसंगाधीन मामले में इस निष्कर्ष से साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, पटना, को परिवादी के अनुग्रह अनुदान के भुगतान के संबंध में पुर्नविचार करने का आदेश दिया गया कि **परिवादी के पति की विधुत स्पर्शाधात से हुई मृत्यु, किसी–न –किसी प्रकार से संबंधित बिजली कम्पनी के लापरवाही से हुई है तथा परिवादी साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, पटना, से ₹ 4,00,000/–(चार लाख) रूपये अनुग्रह अनुदान की राशि पाने की अधिकारी है।** राज्य आयोग द्वारा साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, पटना, को परिवादी के बचत खाता में यथाशीध्र (04)चार लाख रूपये अनुग्रह अनुदान की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया।

उक्त पर साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, पटना द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि **परिवादी को (04)चार लाख रूपये के अनुग्रह अनुदान की राशि का भुगतान उसके बैंक बचत खाता में कर दिया गया है।**

अब जबकि परिवादी को उसके पति के विधुत स्पर्शाधात से हुई मृत्यु पर **साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, पटना,** द्वारा ₹ 4,00,000/–(चार लाख) रूपये अनुग्रह अनुदान के रूप में भुगतान कर दिया गया है तो ऐसी परिस्थिति **साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, पटना,** के प्रतिवेदन को स्वीकार करते हुए प्रसंगाधीन मामले को राज्य आयोग के स्तर से संचिकास्त किया जाता है।

तद्नुसार, **साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, पटना** से प्राप्त प्रतिवेदन की प्रति अनुलग्नको सहित (पृष्ठ–32–30/प0) संलग्न करते हुए आज पारित आदेश की प्रति के साथ **परिवादी** को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

उप सचिव